बिहार सरकार
परिवहन विभाग

स्मार पत्रांक–04/ STA-P3-04/2018 **पटना, दिनांक–**

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना।
जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा।
मोटरयान निरीक्षक, नालंदा।
प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, नालंदा।

विषयः– **अंतर्राज्यीय मार्ग बिहार शरीफ से कोलकाता पर बिना परमिट के अवैध रूप से परिचालित हो रहे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–6536, दिनांक–11.10.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री संजय कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष, प्रखंड जनता दल(यू0), बिहार शरीफ से प्राप्त पत्र आपको उपलब्ध कराते हुए अंतर्राज्यीय मार्ग बिहार शरीफ से कोलकाता के बीच बिना परमिट के अवैध रूप से परिचालित हो रहे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया था।

श्री कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से पुनः आवेदन समर्पित करते हुए उक्त मार्ग पर वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि आवेदन में उल्लिखित सभी बिन्दुओं की जाँच करते हुए विषयांकित मार्ग पर अवैध रूप से परिचालित हो रहे वाहनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष, प्रखंड जनता दल(यू0), एन0एच0–82, जगदेव चौक राणा विगहा मोड़, बिहार शरीफ(नालंदा) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4698 पटना, दिनांक– 26/6/19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.: 0612-2547448, Fax: 0612-2546212, Email: stcbihar@gmail.com